राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

S. B. Criminal Writ Petition No. 174/2017

रागिनी चांडक

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

RAJASTHAN HIGH COURT

आदेश दिनांक : **30 मई, 2017**

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री महेन्द्र गौड़ अधिवक्ता याची की ओर से
श्री एन एस धाकड़ विद्वान् लोक अभियोजक वास्ते राज्य
अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह ए एस आई पुलिस थाना-बगरू, जयपुर पश्चिम व्यक्तिश: उपस्थित.

--

अधिवक्ता याची को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह ए.एस.आई. पुलिस थाना-बगरू, जयपुर पश्चिम ने उपस्थित होकर विद्वान् लोक अभियोजक श्री एन एस धाकड़ के मार्फत प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जिसे अभिलेख पर लिया गया।

विद्वान् अधिवक्ता याची श्री महेन्द्र गौड़ ने निवेदन किया है कि इस प्रकरण में याची को गलत फंसाया गया है। याची वर्ष 2003 में शाखा प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बड़ का बालाजी, बगरू, जयपुर के पद पर कार्यरत थी। तत्समय शाखा प्रबन्धक के रूप में उन्होने ऋण स्वीकृत किया था। उसकी अनुसंशा उप प्रबन्धक द्वारा की गयी थी। उन्होने निवेदन किया है कि बैंक द्वारा ऋणी के विरूद्ध ऋण राशि नहीं चुकाने पर वसूली का वाद दायर किया गया, जिससे बचने के लिए ऋणी ने यह परिवाद मिथ्या तथ्यों के आधार पर याची के विरूद्ध दर्ज करवाया है। पूर्व अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में बाद अनुसंधान नकारात्मक अन्तिम प्रतिवेदन पेश किया था। उसके बाद वर्तमान अनुसंधान अधिकारी बिना उस व्यक्ति का पता लगाये जिसके द्वारा ऋण भगवान सिंह के स्थान पर भगवान सिंह बनकर भगवान सिंह के हस्ताक्षर किये गये, याची को गलत रूप से इस प्रकरण में आलिप्त किया जा रहा है। उन्होने निवेदन किया है कि हस्ताक्षर वर्ष 2003 के ऋण आवेदन फार्म पर किये गये है, जिनका मिलान वर्ष 2014 में करना बताया गया है। 11 वर्ष की

लम्बी अवधि में हस्ताक्षरों में भिन्नता आना स्वाभाविक है अन्यथा भी मात्र हस्ताक्षर के आधार पर याची के विरूद्ध निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उन्होने यह भी निवेदन किया है कि हैण्ड राइटिंग व हस्ताक्षर conclusive proof नहीं माना जा सकता । याची ने स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति भी ले ली है। याची तत्समय शाखा प्रबन्धक के रूप में कार्यरत थी। अब उसके पास बैंक का कोई अभिलेख नहीं है और न ही बैंक पर उसका कोई नियत्रंण है। अत: याची के विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किया जावे।

विद्वान् लोक अभियोजक श्री एन एस धाकड़ ने अनुसंधान अधिकारी के निर्देशानुसार निवेदन किया है कि इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ने ऋणी भगवान सिंह के हस्ताक्षरों की जांच तो एफ एस एल से करवायी है लेकिन भगवान सिंह के हस्ताक्षर किसके द्वारा किये गये, इस सम्बन्ध में हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच नहीं करवायी है। उन्होने निवेदन किया है कि वे प्रकरण की पूरी पत्रावली को पढ़कर अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखना चाहते हैं, इस हेतु अवसर दिया जावे, जो प्रार्थनानुसार प्रदान किया जाता है।

पत्रावली दिनांक 26.07.2017 को पुन: न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(न्या0 बनवारी लाल शर्मा **)**

अनिलशर्मा/-M-45

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते